

## परियोजना- 18

नाट्य संस्थाओं/लोकनृत्य दलों के प्रदेश में विभिन्न स्थानों में कार्यक्रम देने के लिए सहायतानुदान की परियोजना  
(सरकार के पत्र संख्या: भाषा-क (3) 10/80 दिनांक 11 अक्टूबर, 1985 द्वारा अनुमोदित)

### 1 उद्देश्य :

इस परियोजना के निम्नलिखित उद्देश्य होंगे :

- 1 स्वैच्छिक नाट्य संस्थाओं की नाट्य कला एवं नृत्य दलों की नृत्य-कला का विकास एवं प्रोत्साहन ।
- 2 नाट्य कला/नृत्य कला के क्षेत्र में कार्य करने हेतु भावना को बढ़ावा देना ।
- 3 रंगमंच तथा लोककला के प्रचार-प्रसार हेतु ।

### 2 संस्थाएं, जिन्हें धन राशि दी जा सकती है :

- 1 संस्था/समिति पंजीकरण अधिनियम 1860 के अन्तर्गत पंजीकृत हो या
- 2 संस्था साविधिक हो या
- 3 संस्था राष्ट्रीय/ राज्य स्तर पर प्रख्यात हो तथा निदेशक संस्कृति अथवा इस विभाग के संबंधित संचालक द्वारा मान्यता प्राप्त हो।

### 3 मर्दाने जिन के लिए धन राशि दी जाएगी :-

- 1 विभाग द्वारा कार्यक्रम की प्रथम प्रस्तुति या कार्यक्रम देने के लिए यात्रा की तिथि से कार्यक्रम की समाप्ति तक 30/- रुपये प्रतिदिन प्रति कलाकार जलपान राशि दी जायेगी ।
- 2 कलाकारों को आने-जाने का साधारण बस किराया/द्वितीय श्रेणी रेल किराया दिया जायेगा ।
- 3 कार्यक्रम में प्रत्येक प्रस्तुति पर 50/-रुपये प्रति कलाकार लोक नृत्य दल को पारश्रमिक दिया जायेगा ।
- 4 नाटक में प्रथम प्रदर्शन पर, जिसमें नया सैट लगाया गया हो, उसमें 1500/- रुपये दिया जायेगा । इसके बाद के तीन कार्यक्रमों पर 1,000/- रुपये प्रति कार्यक्रम, उसके बाद 750/- रुपये प्रति कार्यक्रम दिया जायेगा ।
- 5 हाल का किराया मूल रसीद प्रस्तुत करने पर वापस कर दिया जाएगा।
- 6 नाटक तथा लोकनृत्य, दोनों में ही एक संस्था के सदस्यों की अधिकतम संख्या 22 होगी।
- 7 सक्रिय भाग लेने वाले कलाकारों के अतिरिक्त एक दलनेता, एक निदेशक तथा साज-सज्जा हेतु एक अन्य व्यक्ति को भी कलाकार माना जाएगा।

### 4 सहायतानुदान की सीमा :

सहायतानुदान निदेशक, भाषा एवं संस्कृति के स्वविवेक पर स्वीकृत किया जाएगा ।

### 5 उपयोगिता प्रमाण-पत्र :

आयोजन के तुरन्त बाद संस्था के प्रधान/सचिव का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह उस राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र विभाग को भेजें, जिसमें दिये गये सारे खर्च का विवरण

हो और यह भी दर्शाया गया हो कि धन राशि जिस उत्सव/कार्यक्रम के लिए दी गई थी उसी पर खर्च की गई है। प्रपत्र संलग्न है। प्रपत्र जिला भाषा अधिकारी द्वारा सिफारिशित किया जाना आवश्यक है।

#### 6 सहायतानुदान देने की प्रक्रिया :

- 1 विभाग के विहित प्रपत्र पर, प्रार्थना पत्र जिला भाषा अधिकारी के माध्यम से विभाग तक पहुंचना चाहिए।
- 2 कार्यक्रम, जिन स्थानों पर देने होंगे, उन की सूची तिथिवार प्रार्थना पत्र के साथ लगी होनी चाहिए।
- 3 यदि नाटक अप्रकाशित है तो नाटक की पाण्डुलिपि भी प्रार्थना पत्र के साथ लगी होनी चाहिए।
- 4 अप्रकाशित पाण्डुलिपि के अनुमोदन के पश्चात ही सहायतानुदान दिया जाएगा।
- 5 संस्था कौन सा लोक नृत्य प्रदर्शित करेगी, इसका भी स्पष्ट ब्यौरा आना चाहिए।
- 6 सहायतानुदान की राशि, अनुदान देने की तारीख से तीन मास के भीतर व्यय की जाएगी अन्यथा तमाम राशि ब्याज सहित वापिस ले ली जाएगी।
- 7 धनराशि केवल उसी कार्यक्रम पर व्यय की जायेगी जिसके लिए वह स्वीकृत की गई है।
- 8 सहायतानुदान प्राप्त संस्था विभाग के अधिकारियों तथा सम्बन्धित जिला भाषा अधिकारियों को कार्यक्रम देखने के लिए आमंत्रित करेगी ताकि आयोजन का स्तर जांचा जा सके।

## परियोजना-18 के लिए प्रपत्र

(नोट : सहायतानुदान मिल जाने पर विभाग के प्रति निमन्त्रण पत्र/स्मारिका पर आभार प्रकाशित करना आवश्यक है। इन्हें प्रकाशित न किए जाने की दशा में मंच से आभार व्यक्त किया जाना आवश्यक है)

1	संस्था का नाम व पूरा पता :	
2	क्या संस्था पंजीकरण अधिनियम 1860 के अधीन पंजीकृत है (यदि है तो पंजीकरण संख्या तथा तिथि दें)	
3	नाटक का नाम, (यदि अप्रकाशित है तो पाण्डुलिपि संलग्न करें)	
4	लोक नृत्य की स्थिति में नृत्य का नाम	
5	पात्रों/ कलाकारों की संख्या----- पुरुष-----स्त्री-----	
6	निर्देशक का नाम :	
7	तिथि एवं स्थान :	
8	कार्यक्रम हेतु अपेक्षित अनुदान राशि	

हस्ताक्षर :

पदनाम :

इस नाटक की पुस्तक/पाण्डुलिपि मैंने देख ली है। लोक नृत्य की प्रस्तुति भी देखी है। कोई अंश आपत्तिजनक अथवा अश्लील नहीं है। मंच में भाग लेने वालों की संख्या----- है। संस्था इससे पूर्व दो आयोजन निजी स्रोतों से कर चुकी है। अतः सहायतानुदान की सिफारिश की जाती है। परियोजना-18 के अन्तर्गत यह संस्था ----- सहायतानुदान की हकदार है।

नाटक/लोकनृत्य----- तिथियों को ----- स्थानों में प्रस्तुत किया जाएगा और इसके प्रस्तुतिकरण पर मुझे आमंत्रित किया गया है। नाटक/लोकनृत्य देखने के बाद पूरी रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी।

जिला भाषा अधिकारी